

**खाद्य निगराना निरुणयन अधिकाारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, भरतपुर**  
(पीठासीन अधिकाारी: धनश्याम शर्मा, आर0ए0एस0)

**दस्तावेजी संख्या : 08 / 2026 प्रार्थना पत्र (खा.सु.अ.)**

महेश कुमार शर्मा, खाद्य सुरक्षा अधिकाारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकाारी, भरतपुर।

आवेदक

बनाम

रामेश्वर (भालिक/विक्रेता) पुत्र रामस्वरूप मैसर्स सैनी मिष्ठान भण्डार बस स्टैण्ड हलैना निवासी सैनी मौहल्ला हलैना भरतपुर।

गैरसायल

प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 26(2)(ii) एफएसएस एक्ट 2006 रूल्स 2011


उपस्थित :

1. प्रार्थी स्वयं
2. गैरसायल स्वयं

निर्णय

दिनांक : 12.03.2026

आवेदक द्वारा यह प्रार्थना पत्र अंतर्गत 26(2)(ii) एफएसएस एक्ट 2006 रूल्स 2011 के अन्तर्गत विरुद्ध गैरसायल दिनांक 20.02.2026 को प्रस्तुत किया गया है। गैरसायल को जरिये नोटिस तलब किया गया। नियत दिनांक 13.03.2026 को गैरसायल उपस्थित। इस्तगासा की नकल देते हुये गैरसायल को इस्तगासा में अंकित आरोप सुनाया गया कि दिनांक 12.10.2025 को दोपहर 3.30 बजे गैरसायल की दुकान मैसर्स सैनी मिष्ठान भण्डार बस स्टैण्ड हलैना का निरीक्षण किया गया। दौराने निरीक्षण /जांच गैरसायल की उक्त दुकान पर आम जनता के इस्तेमाल के लिये विक्रय हेतु दुकान में रखे हुये पीपे में लगभग 20 किग्रा रसगुल्ला (छैना मिठाई) रखी हुई पाई गई। जिनमें मिलावट का संदेह होने पर नियमानुसार मौके पर नमूना लिया गया। खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के अंतर्गत नियमानुसार कार्यवाही अमल में लायी गई। खाद्य विश्लेषक भरतपुर की जांच रिपोर्ट एलएस/1112/एक्ट/2025/1132 दिनांक 24.10.2025 द्वारा उक्त रसगुल्ला (छैना मिठाई) का नमूना बाह्य पदार्थ युक्त खाद्य पदार्थ (Food Containing Extraneous Matter Food Due to presence of Starch) प्रकृति का पाया गया है। गैरसायल द्वारा बाह्य पदार्थ युक्त खाद्य पदार्थ (Food Containing Extraneous Matter Food Due to presence of Starch) प्रकृति का रसगुल्ला (छैना मिठाई) विक्रय करके एफएसएसए 2006 की धारा 26(2)(ii) का उल्लंघन किया गया है।

  
अतिरिक्त जिला कलक्टर  
भरतपुर (राज.)

आरोपों को सुन व समझकर गैरसायल ने कथन किया है कि खाद्य रसगुल्ला अधिकारी द्वारा गैरसायल की फर्म मैसर्स सैनी मिष्ठान भण्डार बस स्टैण्ड हलैना के रसगुल्ला (छैना मिठाई) की जांच हेतु नमूना लिया गया है। जो खाद्य विश्लेषण भरतपुर की जांच रिपोर्ट में बाह्य पदार्थ युक्त खाद्य पदार्थ (Food Containing Extraneous Matter Food Due to presence of Starch) प्रकृति का पाया गया है। उक्त रसगुल्ला (छैना मिठाई) की जांच रिपोर्ट में हानिकारक माना जाकर अवमानक स्तर का पाया गया है। गैरसायल द्वारा यह त्रुटि सहवन से होने के कारण आरोप को स्वीकार करता है। गैरसायल की यह प्रथम गलती है, जिसके लिये गैरसायल भविष्य में सावधानी पूर्वक देखभाल करके ही कोई प्रोजेक्ट का विक्रय करेगा। इसलिये गैरसायल के प्रति नरम रूख अपनाते हुये कार्यवाही की जावे।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया। गैरसायल के कथनों पर मनन किया गया। दिनांक 12.10.2025 को दोपहर 3.30 बजे गैरसायल की दुकान मैसर्स सैनी मिष्ठान भण्डार बस स्टैण्ड हलैना दौराने निरीक्षण/जांच गैरसायल की फर्म पर आम जनता के विक्रय दुकान में रखे हुये पीपे में लगभग 20 किग्रा रसगुल्ला (छैना मिठाई) रखा हुआ पाया गया। खाद्य विश्लेषक भरतपुर की जांच रिपोर्ट एलएस/1112/एक्ट/2025/1132 दिनांक 24.10.2025 द्वारा उक्त रसगुल्ला (छैना मिठाई) का नमूना बाह्य पदार्थ युक्त खाद्य पदार्थ (Food Containing Extraneous Matter Food Due to presence of Starch) प्रकृति का पाया गया है। दौराने सुनवाई गैरसायल के द्वारा भविष्य में इस प्रकार की अनियमितता की पुनरावृत्ति नहीं करने एवं सावधानी पूर्वक फूड प्रोजेक्ट का विक्रय करना स्वीकार किया है। गैरसायल की प्रथम गलती होने के कारण भविष्य में इस प्रकार की अनियमितता की पुनरावृत्ति नहीं किये जाने की चेतावनी गैरसायल को दी जाती है। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है, उक्त अधिनियम की धारा 51 के तहत गैरसायल के द्वारा की गई अनियमितता के आधार पर 15,000/-रूपये (पन्द्रह हजार रूपये) के अर्थदण्ड से दण्डित किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद पूर्ति दाखिल दफ्तर की जावे।

निर्णय आज दिनांक 13.03.2026 को सरे इजलास सुनाया गया।

५

(धनश्याम शर्मा)  
न्याय निर्णयन अधिकारी  
एवं अतिरिक्त जिला कलक्टर  
भरतपुर (राज.)